

Filling no. RCS-A/689/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 190 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/689/2017

CNR no. MP30010058052017

सिविल वाद क्रमांक 190 ए/2017

संस्थित दिनांक :-12/10/2017

कलियान उर्फ इंद्रपाल पुत्र प्रीतम सिंह,
उम्र-46 वर्ष, निवासी-ग्राम सिमराव,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदक/वादी

//बनाम//

1. जमादार सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, उम्र-60 वर्ष,
2. फोदल उर्फ शिशुपाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, उम्र-52 वर्ष,
सभी निवासी-ग्राम सिमराव, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
.....असल अनावेदकगण/प्रतिवादीगण
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र कुंजी सिंह, उम्र-55 वर्ष,
4. कमल सिंह पुत्र मोहर सिंह, उम्र-60 वर्ष,
5. चतुर सिंह पुत्र मोहर सिंह, उम्र-63 वर्ष,
6. नकुल सिंह पुत्र मोहर सिंह, उम्र-36 वर्ष,
सभी निवासी-ग्राम सिमराव, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
7. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0) तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री रमेश पाराशर।
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री रणवीर सिंह जादौन अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 4, 5 व 6 द्वारा श्री होतम सिंह भदौरिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 3 अनिर्वहित।

//आदेश//

(आज दिनांक 16.03.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. इस मामले में ग्राम सिमराव, परगना व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रं0 62/1 क्षेत्र 0.040 हे0, सर्वे क्रं0 429 क्षेत्र 0.110 हे0, सर्वे क्रं0 565/2 क्षेत्र 0.220 हे0, सर्वे क्रं0 580 क्षेत्र 0.110 हे0, सर्वे क्रं0 880 क्षेत्र 0.670 हे0, सर्वे क्रं0 62/2 क्षेत्र 0.330 हे0 और सर्वे क्रं0 565/1 क्षेत्र 0.220 हे0 (एतस्मिन् पश्चात् “विवादित भूमियाँ” से निर्दिष्ट) पर वादी के अंश के संबंध में स्वत्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और राजस्व अभिलेखों में की गयी प्रविष्टि को निरस्त कराये जाने का विवाद है।

3. आवेदन यह है कि विवादित भूमियाँ वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुयी थीं। मृतक प्रीतम सिंह के पुत्र के रूप में वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का विवादित भूमियों के 1/3 भाग पर स्वत्व और संयुक्त रूप से कब्जा है। भूमि सर्वे क्रमांक 429 क्षेत्र 0.110 हे0 पर वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 का अलग-अलग मकान बना हुआ है और सम्पूर्ण विवादित भूमियों के 1/3 भाग पर वादी का स्वत्व है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ही वादी के हिस्से पर भी खेती करते थे, वादी को फसल में उसका हिस्सा दे देते थे और वादी उन पर पूरा विश्वास करता था। वादी अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करता था, जब वह घर वापस आया तो उसने प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 से कहा कि वह अपने विवादित भूमियों में से हिस्से की भूमि पर स्वयं खेती करेगा, इस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादी को उसका हिस्सा देने से इंकार कर दिया। वादी ने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इकट्ठा कर पंचायत भी जोड़ी, परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने पंचों की बात मानने से इंकार कर दिया और कहा कि विवादित भूमियों पर अकेले उनका नाम दर्ज है। वादी ने राजस्व अभिलेखों की नकल दिनांक 27.09.2017 को प्राप्त की तब वादी को जानकारी हुयी कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने तहसीलदार वृत्त पीपरी के समक्ष बँटवारा का आवेदन राजस्व प्रकरण क्रमांक 33/12-13/अ-27 प्रस्तुत कर वादी की सहमति व जानकारी के बिना ही विवादित भूमियों का बँटवारा करा लिया है और वादी के हिस्से में बीहड़ की अनुपजाऊ भूमि दे दी है। राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया बँटवारा समान नहीं है, वादी को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया और फर्द के आधार पर एकपक्षीय रूप से बँटवारा कर दिया गया है। वास्तव में मौके पर विवादित भूमियों का कोई बँटवारा नहीं हुआ है, वादी ने भूमि सर्वे क्रमांक 565 में से अंशभाग 0.10 हे0 भूमि प्रतिवादी क्रमांक 6 को विक्रय कर दी थी और शेष सभी विवादित भूमियों पर वादी का स्वत्व व संयुक्त कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ करके गलत व असमान बँटवारा करा लिया है और अच्छी व उपजाऊ भूमि अपने हिस्से में दर्ज करा ली है। उक्त तथ्यों के आधार पर स्वत्व घोषणा, राजस्व अभिलेखों में सुधार व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है, विवादित भूमियों के विक्रय की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमियों के विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण पर रोक लगायी जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का जवाब संक्षेप में यह है कि पिता के जीवनकाल में ही हो चुके बँटवारे के आधार पर वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 अपने-अपने हिस्से पर काबिज थे, मौके पर वास्तविक स्थिति के अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा बँटवारा आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध वादी ने कभी कोई अपील नहीं की और वादी राजस्व न्यायालय द्वारा किये गये बँटवारे से सहमत था। वादी ने कभी कोई पंचायत नहीं जोड़ी, वादी को उसके हिस्से के अनुसार भूमि बँटवारे में प्राप्त हो चुकी है और असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर वादी ने झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर वाद संस्थित किया है। वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है, वादी अपने हिस्से की भूमि पर खेती करता है और वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति भी संभाव्य नहीं है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. वादी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के समर्थन में खसरा व खतौनी वर्ष 2016-2017 और खसरा पंचशाला संवत् 2065 से 2069 (वर्ष 2008 से वर्ष 2012) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

7. स्वयं वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला संवत् 2065 से 2069 (वर्ष 2008 से वर्ष 2012) की प्रमाणित प्रति के अनुसार भूखंड क्रं0 62, सर्वे क्रं0 426, सर्वे क्रं0 429, सर्वे क्रं0 565, सर्वे क्रं0 580 व सर्वे क्रं0 880 वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 के पिता प्रीतम सिंह के नाम पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रही हैं। उक्त राजस्व अभिलेख से यह भी प्रकट है कि प्रीतम सिंह की मृत्यु के बाद उक्त सभी सर्वे नंबरों पर मृतक प्रीतम सिंह के पुत्र वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम समान भाग पर दर्ज हुआ है। स्वयं वादी के अनुसार उसने भूमि सर्वे क्रं0 565 में से अंशभाग 0.10 हे0 (10 बिश्वा भूमि) प्रतिवादी क्रमांक 6 को विक्रय कर दी है और इस तथ्य की पुष्टि अभिलेख पर प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2013 की प्रतिलिपि से भी होती है।

8. वादी की मुख्य आपत्ति यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर विवादित भूमियों का असमान बँटवारा करा लिया। वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा पंचशाला संवत् 2065 से 2069 (वर्ष 2008 से 2012) के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादपत्र के पद क्रमांक 1 में उल्लिखित विवादित भूमियों के अतिरिक्त भूमि सर्वे क्रं० 426 क्षे० 0.18 हे० पर भी प्रीतम सिंह के तीनों पुत्रों वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम दर्ज रहा है और इस सर्वे नंबर का उल्लेख वादपत्र में नहीं किया गया है। तर्क के दौरान यह प्रकट हुआ कि उक्त भूमि सर्वे क्रं० 426 राजस्व न्यायालय के समक्ष बँटवारा में अकेले वादी को प्राप्त हुयी है, वादी की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि ग्राम सिमराव के सर्वे क्रं० 426 क्षे० 0.18 हे० पर अकेले वादी का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है और ऑनलाईन खसरे में भी उक्त सर्वे क्रं० 426 अकेले वादी के नाम पर दर्ज है।

9. वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा पंचशाला संवत् 2065 से 2069 (वर्ष 2008 से 2012) में सर्वे क्रं० 62 के कॉलम नंबर 20 "संशोधित प्रविष्टि" के कॉलम में बँटवारा प्रकरण क्रमांक 33/12-13/अ-27 आदेश दिनांक 31.08.2013 का उल्लेख है और पार्टी नंबर 4 वादी कल्यान सिंह उर्फ इन्द्रपाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को प्राप्त हिस्से का तथ्य संलग्न छायाप्रति में कटा हुआ है। इस बँटवारा आदेश के अनुसार भूमि सर्वे क्रं० 565/1 क्षे० 0.200 हे० में से 1/2-1/2 भाग वादी व प्रतिवादी क्रमांक 6 को प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार भूमि सर्वे क्रं० 62/2 में से अंशभाग 0.030 हे० प्रतिवादी क्रमांक 3 देवेन्द्र सिंह पुत्र कुंजी सिंह को प्राप्त हुआ है और शेष अंशभाग 0.300 हे० वादी को प्राप्त हुआ है।

10. वादपत्र के अभिवचन के अनुसार ही बँटवारा में सर्वे क्रं० 62/2 में से 0.30 हे० भूमि और सर्वे क्रं० 565/1 में से 0.10 हे० भूमि वादी को प्राप्त हुयी है। इसी बँटवारा में प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 को सर्वे क्रं० 62/1 क्षे० 0.04 हे०, सर्वे क्रं० 429 क्षे० 0.110 हे०, सर्वे क्रं० 565/2 क्षे० 0.22 हे०, सर्वे क्रं० 580 क्षे० 0.110 हे० व सर्वे क्रं० 80 क्षे० 0.67 हे० कुल क्षेत्रफल 1.15 हे० प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालय द्वारा किये गये बँटवारे में अकेले वादी को कुल 0.400 हे० भूमि प्राप्त हुयी है, स्वयं वादी ने ही प्रतिवादी क्रमांक 6 को सर्वे क्रं० 565 में से अंशभाग 0.100 हे० विक्रय कर दिया है और इस भूमि को भी मिला लिया जाये तो वादी को राजस्व न्यायालय द्वारा किये गये बँटवारे में कुल 0.500 हे० भूमि प्राप्त हुयी।

11. खसरा पंचशाला संवत् 2065 से 2069 (वर्ष 2008 से 2012) में वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज भूमि सर्वे क्रं० 426 क्षे० 0.180 हे० का उल्लेख वादपत्र में नहीं किया गया है, ऊपर की गयी विवेचना में यह पाया गया है कि सर्वे क्रं० 426 पर वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अकेले वादी

का नाम दर्ज है और वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा पंचशाला संवत् 2065 से 2069 (वर्ष 2008 से 2012) में भी भूमि सर्वे क्रं 426 के कॉलम नंबर 20 में बँटवारा प्रकरण क्रमांक 33/12-13/अ-27 का ही उल्लेख है। यह तथ्य विशुद्ध रूप से स्पष्ट है कि बँटवारा में भूमि सर्वे क्रं 426 क्षेत्र 0.180 हे० भी वादी को ही प्राप्त हुयी है और इस प्रकार वादी को राजस्व न्यायालय द्वारा किये गये बँटवारा में कुल क्षेत्रफल 0.680 हे० भूमि प्राप्त हुयी है जो प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 को राजस्व न्यायालय के समक्ष बँटवारा में संयुक्त रूप से प्राप्त कुल क्षेत्रफल 1.15 हे० में से प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 के पृथक-पृथक हिस्से से अधिक है।

12. ऊपर की गयी विवेचना में यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि वादी को राजस्व न्यायालय द्वारा किये गये बँटवारा में कुल क्षेत्रफल 0.680 हे० भूमि प्राप्त हुयी है जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 के हिस्से से किसी भी रूप में कम नहीं है और राजस्व न्यायालय का बँटवारा क्षेत्रफल या विवादित भूमियों पर अंश की दृष्टि से असमान नहीं कहा जा सकता है। वादी यह बता पाने में विफल रहा है कि विवादित भूमियों में से कौन से सर्वे नंबर की भूमि बीहड़ की अनुपजाऊ भूमि है और कौन से सर्वे नंबर की भूमि अधिक उपजाऊ है और राजस्व न्यायालय द्वारा किये गये बँटवारे के विरुद्ध वादी ने कोई अपील नहीं की है।

13. उक्त तथ्यों के आलोक में वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है, ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है और वाद को अपूर्णनीय क्षति भी नहीं होती है। वादपत्र में इस तथ्य को छिपाया गया है कि बँटवारा में सर्वे क्रं 426 क्षेत्र 0.180 हे० अकेले वादी को प्राप्त हुआ है और वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म०प्र०)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म०प्र०)